COVID-19 Vaccination Translation Project

Hindi | हिंदी

@aacommission

क्या आप जानते हैं?

जाँच से यह साबित हुआ है कि बीमारी से बचाव के लिए कोविड-19 बेहद प्रभावकारी है और मौजूदा महामारी से लड़ने के लिए यह एक शक्तिशाली हथियार है| वैक्सीन लेना, मास्क पहनना और सामाजिक दूरी (शारीरिक दूरी) का पालन ही कोविड-19 से बचाव के उत्तम साधन हैं| इस जानकारी स्त्रोत सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग, मेसाचुसेट्स है|

कुछ आम लक्षण जो बेहद सामान्य हैं: बाँह में दर्द, लाल होना या सूजन; थकान; सर में दर्द; मांसपेशियों में दर्द; बुखार; मतली आना (nausea); सिहरन| अगर आप इसके अलावा कोई और लक्षण महसूस करते हैं या ये लक्षण तीन दिनों से ज्यादा समय तक रहते हैं तो आप अपने प्राथमिक उपचार केंद्र से संपर्क करें|

अगर आपके पास बीमा (Insurance), आई.डी (ID), ड्राईवर’स लाइसेंस (Driver’s license) या सोशल सिक्यूरिटी नंबर नहीं है तो भी आपके लिए वैक्सीन उपलब्ध है| इन कागजातों की ज़रूरत नहीं है|

अगर आपको वैक्सीन देने से मना किया जाता है या कोई अन्य समस्या है तो आप अटॉर्नी जनरल सिविल राइट्स डिवीज़न से संपर्क करें: 617-963-2917 या ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें: https://www.mass.gov/how-to/file-a-civil-rights-complaint.

अगर कोई आपसे इंश्योरेंस, आई.डी, ड्राईवर’स लाइसेंस या सोशल सिक्यूरिटी नंबर मांगता है तो आप मना कर सकते हैं| आपको वैक्सीनेशन के लिए इनमें से कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है|

वैक्सीन लेने से आपका अप्रवासी दर्जा प्रभावित नहीं होगा|
संघीय सरकार (फ़ेडरल गवर्नमेंट) ने यह सुनिश्चित किया है कि
कोविड-19 से जुड़े इलाज व वैक्सीनेशन के लिए किसी व्यक्ति
की प्रवासी अवस्था/दर्जा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है|

कोई व्यक्ति जो 16 वर्ष की आयु से ज्यादा का है और मेसाचुसेट्स में रहता है, पढ़ता है और नौकरी करता है, गैर-प्रमाणित व्यक्ति सहित, इस वैक्सीन का अधिकारी है| यह वैक्सीन संघीय सरकार द्वारा सभी व्यक्तियों को मुफ्त में दिया जा रहा है| इसे लेने के लिए आपका बीमाकृत (Insured) होना बिलकुल ज़रूरी नहीं है| नियुक्ति के लिए आपसे आपका क्रेडिट कार्ड नंबर माँगा जाएगा|

अगर आपको वैक्सीन देने से मना किया जाता है या कोई अन्य समस्या है तो आप अटॉर्नी जनरल सिविल राइट्स डिवीज़न से संपर्क करें: 617-963-2917 या ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें: https://www.mass.gov/how-to/file-a-civil-rights-complaint.

अगर आपको कोविड-19 हो चुका है तो भी आपको वैक्सीन ले लेना चाहिए| अगर आप वर्तमान में कोविड-19 से ग्रस्त हैं यानि कोविड पॉजिटिव हैं तो आपको वैक्सीन लेने के लिए आइसोलेशन पीरियड खत्म होने का इंतजार करना चाहिए, जिसकी अवधी लक्षण शुरू होने से लेकर अगले 10 दिनों तक होती है| अगर आपको किसी प्रकार का कोई लक्षण नहीं था तो जाँच में पॉजिटिव आने के 10 दिन बाद तक इंतजार करना चाहिए|

आपका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड गुप्त रखा जाएगा| सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग, मेसाचुसेट्स द्वारा हर उस व्यक्ति का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखा जाएगा जिसे कोविड-19 वैक्सीन दिया जा रहा है| इस वैक्सीन * डेटाबेस को उसी तरह गुप्त रखा जाएगा जैसे डॉक्टर के पास मरीजों की जानकारियाँ गुप्त रखी जाती हैं| अगर आप वैक्सीनेशन के समय किसी किस्म का दस्तावेज़ (इंश्युरेंस, आई.डी, ड्राईवर’स लाइसेंस या सोशल सिक्यूरिटी नंबर) देने का चयन करते हैं तो आपकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी|

Go to www.aacommission.org > Resources > COVID-19 Resources
for downloadable PDFs and graphics to share!

These translations were undertaken by:
Springfield Vietnamese Cultural Association
Cambodian Mutual Assistance Association
Chinese Associations of Western MA
Bayanihan Association of America
Bhutanese Society of Western MA
Dr. Syed Irfan Makhdoom Nayyar,
Syeddah Ghazala, Syed Armughan
Dr. Zoubir Benmebarek
Farzana Junaise

Project direction by:
AAC's Health & Human Services Committee:
Commissioner Haniya Syeda and Commissioner Ekta Saksena